25/7/24 पत्रावली पेश। वकील वादी
हाजिर। तहसीलदार बोतारामगढ़
से बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा।
शामिल मिसल रहे। वकील
वादी ने एकपक्षीय बहस
सुनी गई। वकील वादी
ने निवेदन किया कि
तहसीलदार बोतारामगढ़
से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार
नाम दुरुस्त किया जावे।
मैंने तहसीलदार बोतारामगढ़
से प्राप्त रिपोर्ट व

पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि ख.न. 1047, ग्राम गनोड़ा में नेतराम पुत्र गोपीराम दर्ज है। जबकि दस्तावेज में नेताराम पुत्र गोपीराम दर्ज है। अतः तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार खाता सं. 109 में नेतराम पुत्र गोपीराम के स्थान पर नेताराम पुत्र गोपीराम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार दांतारामगढ़ को आदेश दिये जाते है कि किसी भी न्यायालय का स्थगन आदि न हो तो अमल दरामद करवाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसला अनुसार रेकार्ड नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]